

**न्यायालय: श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 318 / 2014  
संस्थान दिनांक 12.05.2014

म0प्र0 आबकारी विभाग वृत्त अंजड़,  
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

**वि रु द्ध**

बहादुर पिता अमरसिंग, आयु 22 वर्ष  
निवासी- चुनाभट्टी, बड़वानी  
थाना बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

**// नि र्ण य //**

**(आज दिनांक 18.01.2016 को घोषित)**

1. आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 505 / 2014 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में दिनांक 12.05.2014 को प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 10.02.2014 को समय दोपहर 12:15 बजे चुनाभट्टी बड़वानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक जरी केन में 30 लीटर ताड़ी मदिरा वाहन मोटरसाईकिल सुजुकी मेक्स 100 क्रमांक एम.पी. 45 बी. 1675 में परिवहन करते हुए पाये जाने के रखने संबंध में धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 10.02.2014 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अंजड़-बड़वानी मार्ग पर साईं मंदिर के सामने उपस्थित हुए तथा साक्षी महेश को तलब किया। साक्षी महेश ने बताया कि वह अभियुक्त बहादुर को पूर्व से पहचानता है। थोड़ी देर बाद बड़वानी की ओर से एक मोटरसाईकिल सुजुकी मेक्स 100 कमांक एम.पी. 45 बी. 1675 आते दिखाई दी जिसे रोका जिसे साक्षी ने पहचाना। आबकारी उपनिरीक्षक ने उक्त मोटरसाईकिल की तलाशी लेने पर मोटरसाईकिल के पीछे की ओर रस्सी से बंधी थैली में रखी जरीकेन पाई गई जिसको खोलकर व जरीकेन का ढक्कन खोल कर उसमें भरा तरल पदार्थ की जाँच करने पर ताड़ी मदिरा होना पाया गया तथा उपनिरीक्षक द्वारा ताड़ी को मापने पर लगभग 30 लीटर होना पाया। सहायक उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान ने रोक एवं तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी 1 का बनाया। जप्त की गई मदिरा की नाप एवं जाँच का पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया। ताड़ी को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया प्रदर्शपी 3 का बनाया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 4 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाया तथा अभियुक्त बहादुर एवं अभियुक्त बहादुर के विरुद्ध आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ के अपराध कमांक 505/2014 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त बहादुर के विरुद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 10.02.2014 को समय दोपहर 12:15 बजे चुनाभट्टी बड़वानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक जरी केन में 30 लीटर ताड़ी मदिरा वाहन मोटरसाईकिल सुजुकी मेक्स 100 कमांक एम.पी. 45 बी. 1675 में परिवहन करते हुए पाया गया ?

यदि हाँ तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में महेश (अ.सा.1), जयराम (अ.सा.2) एवं आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.3) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं ।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

7. प्रकरण में साक्ष्य विवेचन के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.3) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 10.03.2014 को वह आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर था। गश्त के दौरान उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि बहादुर मोटरसाईकिल पर केन में ताड़ी भरकर अंजड़ की ओर आ रहा है। सूचना पर विश्वास कर स्टॉफ के साथ अंजड़-बड़वानी रोड़ साई मंदिर के सामने पहुँचकर तथा वहाँ से गुजरने वाले दो व्यक्ति महेश पिता तुलसीराम तथा जयराम पिता कालु को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तथा साक्षी महेश ने उसे बताया कि वह बहादुर को पहले से ही पहचानता है। थोड़ी देर बाद बड़वानी की ओर से एक मोटरसाईकिल सुजुकी मेक्स 100 आती दिखाई दी जिसे रोका तथा साक्षी महेश ने बताया कि वही बहादुर पिता अमरसिंह है। बहादुर एवं उसकी मोटरसाईकिल की तलाशी लेने पर मोटरसाईकिल पर एक प्लास्टिक खाद की थैली में पीछे की ओर एक जरीकेन बंधी हुई पाई गई, पूछने पर उसने जरीकेन में ताड़ी होना बताया था। उसने अभियुक्त को रोकने एवं तलाशी लेने के संबंध में प्रदर्शपी 1 का पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 45 बी. 1675 में बंधी केन को खोलकर उसमें भरे तरल पदार्थ की जाँच करने पर दुधिया तरल पदार्थ जिसमें से बुलबुले निकल रहे थे तथा ताड़ी जैसा खट्टा स्वाद और सुगंध थी। उसने जाँच एवं अनुभव के आधार पर केन में भरा पदार्थ ताड़ी होना नाया था जिसकी मात्रा 30 लीटर थी। उसने ताड़ी को वापस केन में भरकर सीलबंद किया तथा माप एवं जाँच पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही उक्त 30 लीटर ताड़ी एवं उक्त मोटरसाईकिल अभियुक्त से प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जो जरीकेन जप्त की थी वह आर्टिकल ए' , प्लास्टिक की थैली आर्टिकल 'बी' की है। उसने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 45 बी. 1675 के स्वामित्व के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ से प्रदर्शपी 8 के पत्र के माध्यम से जानकारी चाही थी जिसके जवाब में जिला परिवहन अधिकारी ने उसे सूचित किया था कि उक्त मोटरसाईकिल का पंजीकृत स्वामी धुमसिंग पिता नीमजी निवासी ग्राम फाटा जिला अलिराजपुर है। उसने उक्त पंजीकृत स्वामी के कथन लेखबद्ध किये तो उसने अभियुक्त को उक्त मोटरसाईकिल पारिवारिक कार्य के लिए ले जाना बताया था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह बहादुर को पहले से नहीं जानता था और सूचनाकर्ता ने भी उसे पहचान का कोई चिन्ह नहीं बताया था। साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि महेश अभियुक्त को पहचानता था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जो परिवाद प्रदर्शनी 1 है उसमें यह उल्लेख नहीं किया कि मुखबिर ने उसे बताया कि अभियुक्त मोटरसाईकिल लेकर आ रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि रोक पंचनामा बनाने के पूर्व उसने अपनी एवं स्टॉफ की तलाशी लेने का कोई पंचनामा नहीं बनाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई ताड़ी जप्त नहीं की थी अथवा अभियुक्त के विरुद्ध यह असत्य कार्यवाही की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि ताड़ी का यांत्रिकीय परीक्षण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें तीव्रता नहीं होती है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि ताड़ी वृक्ष से निकाली जाती है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

9. महेश असा 1 एवं जयराम असा 2 ने अभियुक्त को पहचानने या उनके सामने कोई भी वस्तु जप्त होने से इंकार किया है तथा अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है तथा उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर दोनों ही साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि आबकारी उपनिरीक्षक श्री खान ने उन्हें बुलाकर मुखबिर की सूचना बताई थी अथवा अभियुक्त को रोककर उसके आधिपत्य से एक प्लास्टिक की केन में 30 लीटर ताड़ी उनके सामने जप्त की थी। साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनके सामने आबकारी उपनिरीक्षक ने प्रदर्शनी 1 लगाया 5 की कार्यवाही की। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी जयराम असा 2 ने स्वीकार किया कि उसने उक्त हस्ताक्षर आबकारी कार्यालय में किये थे और उस समय अभियुक्त उपस्थित नहीं था। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि उस समय वह आबकारी कार्यालय के पास रहता था और उनके कहने पर कई बार हस्ताक्षर किये हैं। महेश असा 1 ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जिन कागजों पर निशानी अंगुठा किया था उस समय अभियुक्त उपस्थित नहीं था तथा उक्त दस्तावेज कोरे थे।

10. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षियों ने अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त ताड़ी जप्त किये जाने का स्पष्ट खण्डन किया है तथा यहाँ तक कि अभियुक्त की पहचान भी नहीं की है और यहाँ तक कि कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है। अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त बहादुर के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक जरी केन में ताड़ी मदिरा लगभग 30 लीटर अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए तथा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 45 बी. 1675 दिनांक 11.08.2014 को उसके पंजीकृत स्वामी दुमसिंह पिता लीमजी निवासी- भूरघाटी फल्या ग्राम फाटा तहसील अलिराजपुर को सुपुर्दगीनामे पर दी गयी है, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी